

मांग संख्या 39  
मुख्य शीर्ष 2408

**मद क्रमांक-1**

उपभोक्ता संरक्षण प्रकोष्ठ हेतु ₹ 30.00 लाख का व्यय संभावित है । यह व्यय विभागीय बचत से किया जावेगा।

अतः इस प्रयोजन हेतु ₹ 100 का प्रतीक अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

**मद क्रमांक-2 एवं 3**

पीडीएस डीलर का मार्जिन योजना हेतु राज्यांश की राशि ₹ 13300.00 लाख एवं केन्द्रांश की राशि ₹ 13300.00 लाख इस प्रकार कुल ₹ 26600.00 लाख का अतिरिक्त व्यय संभावित है।

अतः इस प्रयोजन हेतु ₹ 2,66,00,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।